17/2. चौथमल आत्मज नन्दलाल जी माली ।
17/3. महावीर आत्मज नन्दलाल जी माली ।
17/4. कमला बाई पुत्री नन्दलाल जी माली ।
17/5. विमला बाई पुत्री नन्दलाल जी माली ।
17/6. सुमित्रा पुत्री नन्दलाल जी माली ।
17/7. सोसर बेवा नन्दलाल जी माली निवासीगण सोगरिया तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।

18. मुकेश आत्मज किशन गोपाल जी माली ।
19. दिनेश उर्फ हनुमान आत्मज किशन गोपाल जी माली ।
20. राजेश बाई पुत्री किशन गोपाल जी माली ।
21. तुलसां बाई बेवा किशन गोपाल जी माली निवासीगण सोगरिया तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
22. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार तहसील दीगोद जिला कोटा ।

---रेस्पोडन्ट

उपस्थित :— 1. श्री घनश्याम नागर, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री संजय शर्मा, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय

दिनांकः 08.10.2018

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय सहायक कलक्टर , दीगोद जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28.06.2016 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी रेस्पोडेन्ट क्रम 1व 2 ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 53 एवं 188 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम नोताडा तहसील दगोद जिला कोटा में खाता नम्बर नया 186 की आराजी खसरा नम्बर 03 रकबा 1.36 हैक्टर, खसरा नम्बर 04 की 0.85 हैक्टर, खसरा नम्बर 05 की 0.01 हैक्टर, खसरा नम्बर 06 की 0.06 हैक्टर कुल 04 किता की रकबा 2.28 हैक्टर भूमि स्थित है । उक्त भूमि राजस्व रिकॉर्ड में वादीगण व प्रतिवादी क्रम 1 से 5 के संयुक्त खातेदारी में दर्ज चली आ रही है जिसमें वादीगण का 1/2 हिस्सा तथा प्रतिवादीगण क्रम 1 से 5 का 1/2 हिस्सा दर्ज है । ग्राम नोताडा तहसील दीगोद में खाता संख्या 187 की आराजी खसरा नम्बर 1217 की 0.65 हैक्टर भूमि है । उक्त भूमि राजस्व रिकॉर्ड में वादीगण व प्रतिवादी क्रम 1 से 24 की संयुक्त खातेदारी में दर्ज चली आ रही है जिसमें वादीगण का 1/16 हिस्सा, प्रतिवादी क्रम 1 से 5 का 1/16 हिस्सा, प्रतिवादी क्रम 6 से 11 का 1/8 हिस्सा, प्रतिवादी क्रम 12 से 14 का 3/16 हिस्सा, प्रतिवादी क्रम 15 का 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी क्रम 16 से 19 का 1/16 हिस्सा, प्रतिवादी क्रम 20 से 24 का 1/4 हिस्सा

सत्य प्रतिलिपि

की आराजी खसरा नम्बर 186 की हैक्टर कुल 02 किता की रकबा 0.35 हैक्टर भूमि राजस्व रिकॉर्ड में वादीगण व प्रतिवादी कम 1 से 11 की संयुक्त खातेदारी में दर्ज चली आ रही है जिसमें वादीगण का 1/4 हिस्सा तथा प्रतिवादी कम 1 से 5 का 1/4 हिस्सा व प्रतिवादी कम 06 से 11 का 1/2 हिस्सा दर्ज है । ग्राम नोताडा तहसील दीगोद में खाता संख्या नया 223 में आराजी खसरा नम्बर 578 की 0.26 हैक्टर, खसरा नम्बर 579 रकबा 0.10 हैक्टर, खसरा नम्बर 581 की 0.05 हैक्टर, खसरा नम्बर 659 की 0.08 हैक्टर, खसरा नम्बर 681 रकबा 0.08 हैक्टर, खसरा नम्बर 6६2 रकबा 0.03 हैक्टर, खसरा नम्बर 684 रकबा 0.06 हैक्टर, खसरा नम्बर 686 रकबा 0.06 हैक्टर, खसरा नम्बर 708 की 0.17 हैक्टर, खसरा नम्बर 709 की 0.24 हैक्टर, खसरा नम्बर 712 की 0.12 हैक्टर, खसरा नम्बर 1643 की 0.68 हैक्टर कुल 12 की रकबा 1.93 हैक्टर भूमि स्थित है । उक्त भूमि राजस्व रिकॉर्ड में वादी व प्रतिवादी कम 1 से 20 की संयुक्त खातेदारी में दर्ज चली आ रही है जिसमें वादीगण का 1/8 हिस्सा, प्रतिवादी कम 1 से 5 का 1/8 हिस्सा, प्रतिवादी कम 6 से 11 का 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी कम 12 से 14 का 1/8 हिस्सा, प्रतिवादी कम 15 का 1/6 हिस्सा, प्रतिवादी कम 16 से 19 का 1/24 हिस्सा, प्रतिवादी कम 20 का 1/6 हिस्सा है । पक्षकारान आपसी सहमति से अपने –अपने हिस्से की आराजी पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं । वादग्रस्त आराजी का पक्षकारान के मध्य विधिवत बंटवारा नहीं हुआ है जिससे पक्षकारान को लगान राज जमा कराने आदि में कठिनाई आती है ।

3. अतः वादीगण का वाद स्वीकार करते हुए पक्षकारान के मध्य वादग्रस्त आराजी का उनके राजस्व रिकॉर्ड में हिस्से अनुसार विधिवत विभाजन किया जावे तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वह वादी के कब्जे काश्त की आराजी में किसी प्रकार की मदाखल एवं मजाहमत नहीं करें ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद को लोक अदालत में रखते हुए अपने निर्णय दिनांक 28.06.2016 के द्वारा वादी का वाद स्वीकार करते हुए पक्षकारान के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हिस्से अनुसार विभाजन की प्राथमिक डिकी पारित करने का आदेश पारित किया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी दिनांक 28.06.2016 से व्यथित होकर प्रतिवादी कम 1 से 5 अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को सुनवाई हेतु नोटिस प्रदान किये बिना ही उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी पारित कर दी । रेस्पपोडेन्ट द्वारा दिनांक 28.01.2016 को अपीलान्ट के विरूद्ध वाद पेश किया । उक्त के कभी भी कोई नोटिस अथवा सूचना अपीलान्ट को प्रदान नहीं की न ही अपीलान्ट की उपस्थिति ही पत्रावली पर दर्ज है । मात्र शिविर में अपीलान्ट कम 1 ने अन्य काम से उपस्थित होने से सरपंच मोईनुद्दीन के कहने पर उपस्थिति बाबत् हस्ताक्षर किये । अपीलान्ट को न तो यह बताया गया कि कार्यवाही किस बाबत् है न उसकी कोई प्रति ही अपीलान्ट को प्रदान की गई है । अपीलान्ट को जवाबदेही व साक्ष्य का अवसर प्रदान किये बिना ही उक्त अपीलाधीन निर्णय एंव डिकी पारित कर दी जो त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अर्पीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिकी दिनांक 28.06.2016 निरस्त फरमाया जावे ।

6. अपीलान्ट ने अपील मीमों के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने बिना नोटिस, सूचना के आदेश पारित किया है जिसकी अपीलान्ट को कोई जानकारी प्राप्त नहीं थी । उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं

सत्य प्रतिलिपि

[illegible] की [illegible] दिनांक 17.08.2017 को तामीली की [illegible] समाप्त होने पर हुई [illegible] अधीनस्थ निर्णय एवं डिक्री की नकल प्राप्त कर [illegible] अपील न्यायालय हाजा [illegible] के समय में अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब प्रकृति को [illegible] किया जावे

अपील अपीलान्ट [illegible] लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सीपीसी का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेज को रिकॉर्ड पर लिया जावे । अपीलान्ट दस्तावेजात में पूर्व में पेश किये गये वाद अन्तर्गत धारा 53 की प्रमाणित प्रति उसमें पेश किये गये जवाबदावे की प्रमाणित प्रति न्यायालय की आदेशिका न्यायालय के निर्णय दिनांक [illegible] की फोटो प्रति राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा के निर्णय की प्रति राजस्व मण्डल के निर्णय दिनांक 16.08.2001 की फोटो प्रति पेश की है । इनमें से दावे एवं जवाबदावे एवं आदेश की प्रमाणित प्रतियाँ है जिनकी विश्वसनीयता पर संदेह नहीं किया जा सकता । दस्तावेजों में कुछ फोटो प्रतियाँ पेश की गई है जिन्हें रिकॉर्ड पर नहीं लिया जा सकता । अतः अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सीपीसी आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर प्रमाणित प्रतियों को रिकॉर्ड पर लिये जान का आदेश पारित किया जाता है

अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और निवेदन किया कि पत्रावली तलबी में लम्बित थी और इसे लोक अदालत में रखा गया । लोक अदालत में न तो समस्त पक्षकारान उपस्थित हुए हैं औरा न ही कोई विधिक राजीनामा पेश किया गया था और उसी दिनांक को दावा डिक्री किया गया है । सीपीसी की पालना नही की गई है । अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि – विरूद्ध है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28.06.2016 निरस्त फरमाया जावे ।

रेस्पोंडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में निवेदन किया कि अपीलान्ट ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 के साथ जो निर्णय पेश किये हैं उनकी इजराय नहीं हो पाई है । 12 वर्ष से अधिक पूर्व में जो हिस्से तय किये गये हैं उससे हटकर कोई निर्णय अपीलाधीन आदेश मे पारित नही किया गया है । अधीनस्थ न्यायालय ने विधि सम्मत रूप से लोक अदालत की भावना से निर्णय पारित किया है । लोक अदालत में जो निर्णय पारित किया गया है उसमे पक्षकारान के हिस्से अनुसार विभाजन किया गया है जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नही की है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एव डिक्री दिनांक 28.06.2016 बहाल रखा जावे ।

हमने पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । हमने सर्वप्रथम अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का अवलोकन किया । अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में विलम्ब के जो

[illegible] दर्शित किये है वे उचित प्रतीत होते है । अतः अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र [illegible] धारा 05 स्वीकार किया जाकर अपील पेश करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षमा किया जाता है ।

12. [illegible] अधीनस्थ न्यायालय में तनकी के अंकित की और दिनांक 28.08.2018 को इसे लोक अदालत में रखा गया । लोक अदालत में प्रतिवादीगण में से प्रतिवादी क्रम 5 प्रकाश, [illegible] क्रम 2 [illegible] वादी क्रम 1 प्रतिवादी क्रम 10 [illegible] बाई और प्रतिवादी क्रम [illegible] उपस्थित हुए हैं । शेष पक्षकारान उपस्थित नहीं हुए और न ही पक्षकारान के द्वारा कोई लिखित राजीनामा पेश किया गया है । लोक अदालत में केवल उन्हीं प्रकरणों का निस्तारण किया जाता है जिसमें उभय पक्ष उपस्थित होकर लिखित राजीनामा पेश करें इसके अभाव में सीपीसी की पालना करते हुए दावे एवं जवाबदावे के आधार पर तनकीयात कायम कर प्रत्येक तनकी पर पक्षकारान की साक्ष्य लेकर प्रत्येक तनकी पर अपना स्पष्ट निष्कर्ष अंकित करते हुए गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित किया जाना चाहिए । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । हम प्रस्तुत प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायहित में उचित समझते हैं ।

13. अतः अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28.08.2018 निरस्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वह दावे एवं जवाबदावा के आधार पर तनकीयात कायम कर प्रत्येक तनकी पर पक्षकारान की साक्ष्य लेकर प्रत्येक तनकी पर अपना स्पष्ट निष्कर्ष पारित करते हुए गुणावगुण के आधार पर विधि सम्मत निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 16.11.2018 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

14. निर्णय आज दिनांक 08.10.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

8/10/18

(भागवती जेठवानी)

राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

13

मूल वाद मे डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, दीगोद

(पीठीसीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कॉर्ट......नोताडा मालियान

अधिकारी:– कृष्णा शुक्ला (RAS)

उनवान

रूपनारायण वगै० ......बनाम...... दुर्गाशंकर वगै०

त् ...... 53, 188 RTA

नम्बर:– 15/2016

नांक:– 28/6/2016

ादी की ओर से ......–......की व प्रतिवादी की ओर से ......–...... की
में इस वाद में आज तारीख ......–...... को ......–...... (नाम पीठासीन अधिकारी).
शुक्ला (RAS) के समक्ष अन्तिम निपटारें के लिए पेश होनें पर, आदेश किया जाता है और
जाती है कि– ......
वाद वादी स्वीकार किया जाकर ग्राम नोताडा तह० दीगोद
जमाबन्दी संवत 2071-74 के खाता सं. 186 के खसरा नं०
1,5,6 कुल 4 किता की 2.28 हे० भूमि का वादीगण एवं प्रतिवादीगण
गापत 5, खाता संख्या 187 के खसरा नं० 1217 की 0.65 हे०
ण व प्रति० 1 लगायत 24 के मध्य, तथा खाता सं. 222 के
नं० 186 व 187 कुल 2 किता की 0.35 हे० का सहखातेदार
खाता संख्या 223 के खसरा नं० 578, 579, 581, 659,
682, 684, 686, 708, 709, 712, व 1643 कुल 12 किता
9.3 हे० आराजियात का राजस्व रिकार्ड में हिस्से अनुसार
हिस्सा में विभाजन किए जाने का आदेश दिया जाता है
पटवारी रिकार्ड तहसील करो व इन्द्राज डिक्री जारी की जावे।

खर्चा पक्षकार अपना–अपना वहन करेंगे।

ारीख......28/6/2016 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(......कृष्णा शुक्ला......) RAS
पीठीसीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर दीगोद

वाद के खर्चे

वादी			प्रतिवादी		
मुदई	रुपये	पैसे	मुदालयह	रुपये	पैसे
ाम्प वकालतनामा	0	0	स्टाम्प अर्जी	0	0
ाम्प वजूह सबूत	0	0	स्टाम्प अर्जी	0	0
हन्ताना वकील	0	0	महन्ताना वकील	0	0
र्चा गवाहान	0	0	खर्चा गवाहान	0	0
बत इजराय हुक्मनामा	0	0	[illegible]		